गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार ने 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में हुई घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक, एक-संसदीय जांच आयोग गठित किया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद परिसर में घटी घटनाओं जिसमें रामजन्म - भूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराया गया था, से सम्बन्धित परिस्थितियों और सभी तथ्यों और इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी घटनाक्रमों की जांच करना सम्मिलित है। 6 दिसम्बर, 1992 को विवादास्पद राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने से सम्बन्धित कुछेक अपराधों और इससे सम्बन्धित घटनाओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

भारत के राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 1993 को "अयोध्या में कुछ एक क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993" (1993 का 8) प्राख्यापित किया जिसके द्वारा वह क्षेत्र जिसमें राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद ढांचा खड़ा है और उसके आस-पास के उपयुक्त क्षेत्र का अधिकार, स्वत्वाधिकार और स्वामित्व केन्द्र सरकार को हस्तान्तरित और प्राप्त हो गए हैं। सरकार ने यह निर्णय घोषित किया है कि उस क्षेत्र को छोड़कर जिस पर विवादित ढांचा खड़ा था, अधिग्रहीत, क्षेत्र को दो न्यासों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्हें क्रमशः एक राम मन्दिर और एक मस्जिद का निर्माण करने और क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित किया जाएगा।

जिस क्षेत्र में विवादित ढांचा खड़ा है उस क्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने और अपना मत देने के लिए लिखा है :—

> "जिस क्षेत्र में ढांचा खड़ा था वहां पर राम जन्म-भूमि--बाबरी मस्जिद (इस प्रकार के ढांचे के आन्तरिक और बाहरी आंगन के परिसरों सहित) के निर्माण से पहले क्या कोई हिन्दू मन्दिर या कोई हिन्दू धार्मिक ढांचा विद्यमान था।"

उपरोक्त संदर्भ में यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय का मत प्राप्त करने के बाद और तथाकथित मत के अनुरूप विवाद को हल करना चाहती है।

मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3703. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य स्तरीय सम्मान निधि से, जिसमें भोपाल विलीनीकरण आंदोलन और गोवा आंदोलन के सैनिक भी आते हैं, दी जा रही मासिक सम्मान राशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा ने 15 अगस्त, 1992 को उक्त राशि में 100 रुपए प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की थी और क्या उसे लागू कर दिया गया है,

(ग) क्या यह सच है कि पाड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 500 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा सम्मान राशि में, जोकि 400 रुपए है, कब तक वृद्धि करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को 400/- रु० प्रति माह की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है। 09 अगस्त, 1992 को मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में 100/- रु० प्रतिमाह की वृद्धि करने की घोषणा की। मानदेय में वृद्धि करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26-1-1993 से स्वतंत्रता सेनानियों को 700/- रु० प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

मानवाधिकार आयोग के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्ताएं

3704. श्री शिव प्रताप मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्ताएं की है,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दे देगी ?

गृह मंत्री (श्री शंकर राव चव्हाण) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक मानवाधिकार आयोग के गठन का स्वागत किया है। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि प्रस्तावित आयोग अपने कार्य में प्रभावशील होना चाहिए और कि राज्य स्तर पर ऐसे ही आयोगों के गठन के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आयोग के गठन से राज्यों के प्राधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए और दोहरापन तथा अन्य विधि-पूर्वक स्थापित संस्थाओं के कार्य के साथ टकराव से बचना चाहिए।

(ग) मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने की आशा है।

Nagaland Government's Request for Funds

3705. **DR. MURLI MANOHAR JOSHI** : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Nagaland owes a large amount to contractors, public suppliers and Government servants and have asked funds from the Central Government;

(b) if so, what is the amount owed year-wise for the last three years together with the details; and

(c) whether Government servants and others have made representations for the clearance of their dues and if so, what action has been taken on them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information furnished by the State Government the total outstanding amount owed to the contractors/suppliers is Rs. 55.52 crores as on 18-3-1993.

(c) Yes, Sir. To tide over the resource crunch, the Central Government has given ways and means advance to the State Government during the current financial year.